

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस नं. 2025/105)

प्रकरण संख्या:- 63/2025

तारीख दायर:- 16/07/2025

निर्णय दिनांक:-30/10/2025

उनवान

1. मदनलाल पिता वेणा जाति कलाल निवासी कुण्डेली, सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. कल्पेश पुत्र विनोद जाति कलाल निवासी कुण्डेली, सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. नारायणलाल पिता वेणा जाति कलाल निवासी कुण्डेली, सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. रमेश पिता वेणा जाति कलाल निवासी कुण्डेली, सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरुसिंह पिता केसरसिंह रावत निवासी कुण्डेली, सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. पन्नासिंह पिता केसरसिंह रावत निवासी कुण्डेली, सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. रमेश पिता भैराराम जाति सालवी निवासी कुण्डेली, सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुण्डेली जरिये प्रधानाध्यापक निवासी कुण्डेली, सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम कुण्डेली पटवार मण्डल सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 129 आराजी संख्या 1121 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।



प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03, 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 03, 04 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 01, 02 की मृत्यु होने से अधिवक्ता प्रार्थी कायम मुकाम का प्रार्थना पेश नहीं करना चाहा।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा संपूर्ण नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम कुण्डेली पटवार मण्डल सांगावास तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 129 आराजी संख्या 1121 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावे। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्णगी आदेश नहीं समझा जावे। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



Mo
11/01/24
(मोहकम सिंह सिन्हा सिन्वार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला-राजसमन्द (राज.)